2

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी II/ निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/1391

वासुदेव पुत्र श्री मातादीन ब्राह्मण निवासी–ग्राम खेरिया बाग उर्फ रामपुरा, तहसील मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)

––– आवेदक

बनाम

1. श्रीमती दौजा बाई पत्नी स्व. श्री रामसिया ब्राह्मण निवासी–ग्राम नीम गांव तहसील मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)
2. वासुदेव प्रसाद पुत्र ग्यादीन जाति ब्राह्मण निवासी–रामपुरा तहसील मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)

––– अनावेदकगण

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–02–2018 प्रकरण क्रमांक 62/17–18 अपील द्वारा पारित आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना

माननीय न्यायालय,

विनम्र आवेदन आवेदक की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1– यह कि, अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय मेहगांव के समक्ष तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर मुस. दौजा बाई पत्नी रामसिया के द्वारा जिसका सर्वे नम्बर 317 रकवा 2.50, 338 रकवा 0.03 हेक्टेयर पर नामान्तरण बावत् आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक द्वारा समय रहते आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर विचार किये बिना तहसीलदार मेहगांव द्वारा दिनांक 03–12–2016 को नामान्तरण आदेश पारित कर दिया गया जिसकी अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव के समक्ष प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक

II/निग/भिण्ड/भू.रा/2018/1391
वासुदेव/श्रीमती वंदनाबाई

— 2 —

2/4/18 आवेदक अधिवक्ता को समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षर